



2026:AHC:38471

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 4850/2026

प्रदीप कुमार गौड़

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: अगीत कुमार सिंह, यादवेंद्र द्विवेदी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: आज्ञाद राय, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया।

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि मत्स्य पालन अधिकार पट्टा वर्ष 2024 में याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रदान किया गया था। निजी प्रत्यर्थी, विशेष रूप से प्रत्यर्थी संख्या 5 अच्छे लाल पटेल का उक्त तालाब पर अभी भी कब्ज़ा हैं; अतः याचिकाकर्ता मत्स्य पालन के अधिकार शुरू करने में असमर्थ है। इस संबंध में, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 20.11.2025 को जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज/ प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष शिकायत की गई थी; चूंकि कोई कार्रवाई नहीं की गई है, अतः यह रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।
3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 इस मामले में शीघ्रता से निर्णय लेगा।
4. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से, रिट याचिका का निस्तारण प्रवेश स्तर पर ही किया जा रहा है।
5. तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, याचिकाकर्ता को आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर, इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ, प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष अपनी सभी शिकायतों को उठाते हुए एक नया अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। यदि ऐसा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रत्यर्थी संख्या 2 को निर्देश दिया जाता है कि वह विधि के अनुसार, आगामी तीन सप्ताह की अवधि के भीतर उचित आदेश पारित करे।
6. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया।)

20 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"